राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या 05 / 2023

सायल्	बनाम	गैर सायल्
राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी रतनपुरा		छोगाराम पुत्र रूघाराम, करनाराम पुत्र भगाराम कौम मेघवाल निवासी डेडावास का गोलिया, रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 18.05.2023

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का रतनपुरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा डेडावास का गोलिया, रतनपुरा की राजकीय भूमि ख.न. 201/1 रकबा 0.1052 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता(राजकीय भूमि) में से 0.1052 हे.(सम्पूर्ण) भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमी द्वारा बाड़ बना रखी है। अतः गैर सायल् के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल् को नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई की तय तिथि 18.05.2023 को सायल् हल्का पटवारी रतनपुरा उपस्थित, गैर सायलान् नोटिस तामीली एवं बावजुद सूचना के अनुपस्थित, अतः एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि है जिस पर गैर सायल् का अनाधिकृत कब्जा साबित होता हैं। अतः गैर सायल् को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.46 रूपये का राउण्ड अप 1 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल् को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमी द्वारा की गयी बाड़ को हटाकर बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी तथा ILR तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2023 को खुले न्याया[illegible] सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दा[illegible]

(ब[illegible]राम चौधरी)
नायब तहसी[illegible]र गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Girraj Prasad Sharma
Date: 2025.01.31 11:39:05 IST
Reason: SelfAttested